



JALAUN POLICE

“Operation Conviction”

दिनांक 05.08.2026

पुलिस अधीक्षक जालौन के निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल जनपद जालौन एवं कोतवाली उरई पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से मा० न्यायालय सी. जे. एम. कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा 02 अभियुक्तगण को दोषी पाते हुए 07-07 वर्ष का कारावास एवं 7,500-7,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्तगण 1. रमनदीप सिंह उर्फ सन्नी पुत्र ब्रजेन्द्र सिंह नि० द्वारिका नई दिल्ली 2. करुणेश शर्मा पुत्र विरेन्द्र शर्मा नि० ओल्ड माधौनगर सहारनपुर के विरुद्ध कोतवाली उरई पर मु०अ०सं० 2002/15 धारा 420/467/468/471 भादवि पंजीकृत किया गया था। "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत मॉनीटरिंग सेल व कोतवाली उरई पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय सी.जे.एम. कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्तगण 1. रमनदीप सिंह 2. करुणेश शर्मा उपरोक्त को दोषी पाते हुए 07-07 वर्ष का कारावास एवं 7,500-7,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



अभियोजन अधिकारी
विनोद कुमार



प्र०नि० मॉनिटरिंग सेल
श्री परमहंस तिवारी



कोर्ट मुहरिर उ०नि०
राजेन्द्र सिंह



कोर्ट पैरोकार
विजय राज

jalaunpolice

